

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट टिब्बी)

1. विनोद कुमार पुत्र जयलाल चाहर जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी ॥
-वादी

- बनाम
1. बिमला देवी पत्नी जयलाल } जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी॥
2. जयलाल पुत्र साहबराम }
3. शर्मिला पुत्री जयलाल पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी सुरतगढ़ तहसील
सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. साहबराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी॥

- प्रतिवादीनामा


मुकदमा नम्बर:-283/2018

अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-27.6.2018

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीनामा की ओर से महवीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के सनक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि:-प्रतिवादीया बिमलादेवी के नाम से चक नं० 10 एम.के.एस ए प०न० 189/226 नु० 50 किला नं० 117 ता 25 व प०न० 188/226 नु० 51 किला नं० 16,25, प०न० 188/227 नु० 58 किला नं० 5//253, प०न० 189/227 नु. 69 किला नं० 1,10, प०न० 190/227 नु० 70 किला नं० 1,9,10,11,12 कुल 4.807 है० मय गौ०नु० आराजी में से वादी को 1/2 हिस्सा का खातेदार कारतकार घोषित किया जाकर चक नं० 10 एम.के.एस ए के खाता 58/188 में से प्रतिवादीया बिमला देवी का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा प्रतिवादीया बिमलादेवी का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋणों की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में असल जसमद किया जावे।

यह आज तारीख 27.6.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0